न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16 / 333

1. श्यानसिंह आत्मज रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
2. राजेन्द्र आत्मज रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
3. प्रहलाद आत्मज रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
4. नरेन्द्र आत्मज रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
5. भरत सिंह आत्मज रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
6. सोहन कवर पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
7. राजकंवर पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
8. मांगू बाई पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत ।
9. मोहन कंवर बेवा रघुनाथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रघुनाथ सिंह आत्मज देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भीमपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 102 की 15 बीघा भूमि में से 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति राशि (अवार्ड) प्रार्थी या अप्रार्थी या अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जावे तथा

प्रार्थीगण रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्त अवार्ड प्राप्त करने से पाबन्द रहें व साथ ही दौराने वाद वादग्रस्त आराजी का बेचान या खुर्द–बुर्द अन्य किसी व्यक्ति को न करे और न ही उक्त कार्य अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.05.2016 के द्वारा अपने अंतरिम आदेश दिनांक 18.11.2011 को मूलवाद के निस्तारण तक पुष्ट करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अपीलान्ट उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जे की अवधारणा होती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । रिकॉर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है यदि दौराने वाद उक्त भूमि को अपीलान्ट द्वारा खुर्द–बुर्द व बेचान आदि कर दिया गया तो रेस्पोडेन्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभंव नही होगी । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया

गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा